न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 40 / 2021

रहमान पुत्र सौनी जाति मेव निवासी ग्राम नांगल तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक पहाडी (भरतपुर)
2. खुर्शीदन पत्नि मुब्बी
3. रहीशन पत्नि मुफीद
4. सहीदन पत्नि उमर जाति मेव निवासी ग्राम नांगल तहसील पहाडी
5. रहमानी पत्नि ,कमरूद्दीन (फौत)

   5/1 हनीफ

   5/2 हारून

   5/3 ईसा

   5/4 हाकम पिसरान कमरूद्दीन

   5/5 हमीदी

   5/6 महमूदी

   5/7 हक्का पुत्रीयान कमरूद्दीन जाति मेव निवासी ग्राम नांगल तहसील पहाडी (भरतपुर) ।
6. जरीना पत्नि हाकम
7. नूरजहां पत्नि हनीफ
8. मन्नी पत्नि हारून
9. रसीदन पत्नि ईसा जाति मेव निवासी तिगांव तहसील पुन्हाना (नूंह मेवात)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थी

श्री मौहम्मद खाँ वकील अप्रार्थी संख्या 2,3,4

श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 6 लगा09,5 / 1लगा0 5 / 4

दिनांक :– 20 / 05 / 2022

उपखण्ड अधिकारी

पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 2/16/0.81 हाल खसरा नम्बर 864/5/0.81 जो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का है तथा साविक खसरा नम्बर 2/17/0.81 हाल खसरा नम्बर 863/5/0.81 जो अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 का है तथा साविक खसरा नम्बर 5/0.91 हाल खसरा नम्बर 13/0.91 प्रार्थी का है। जो बांके ग्राम नांगल तहसील पहाडी में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के साविक खसरा नम्बर 2/16/0.81 , 2/17/0.81 जो पुराने नक्शे व मौके के अनुसार है जिन पर अप्रार्थीगण मुताबिक पुराना नक्शा व मौके के अनुसार कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी अपने साविक खसरा नम्बर 5/0.91 पर पुराने नक्शा व मौके तथा हाल नये नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी की आराजी के पश्चिम दिशा में सिवायचक खसरा नम्बर 6/11.47 स्थित है। उक्त बन्दोबस्त के राजस्व कर्मचारियों के द्वारा नया नक्शा कायम करते समय अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के दोनो खसरा नम्बर 863/5/0.81, 864/5/0.81 को कतई गलत व लापरवाही पूर्ण तरीके से प्रार्थी के नया खसरा नम्बर 13/0.91 के पश्चिम दिशा में सिवाचक आराजी में प्रदर्शित कर भारी भूल कर दी है। जिसका अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 नाजायज फायदा उठाने की गरज से प्रार्थी से कहा कि नये नक्शे में हमारी आराजी तुम्हारी आराजी के पश्चिम दिशा में प्रदर्शित करदी गई है। जो सिवायचक की भूमि है। इसलिए अब हम तुम्हारी आराजी के पश्चिम दिशा में भी सिवायचक जमीन को भी जोतेगे। जो खिलाफ कानून व मौका कब्जा है। जबकि अप्रार्थीगण की आराजी नया खसरा नम्बर 863/5/0.81 , 864/5/0.81 को नवीन नक्शे में प्रदर्शित खसरा नम्बर 854/3, 855/3, 860/3, 853/3, की बगल में खाली जगह में प्रदर्शित किया जाना चाहिये जो नहीं करके भारी त्रुटि करदी गई। जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 के खसरा नम्बर 863/5/0.81, 864/5/0.81 जो नये नक्शे में प्रार्थी के खसरा नम्बर 13/0.91 के पश्चिम दिशा में सिवायचक जमीन में प्रदर्शित किये गये है। उन्हे मुताबिक पुराना नक्शा व मौका कब्जा के आधार पर खसरा नम्बर 854/3, 855/3, 860/3, 853/3 की बगल में खाली जगह में प्रदर्शित किया जाकर नये नक्शे में हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के आदेश फरमायें जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 03/02/2022 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के खसरा नम्बरान 863/5, 864/5 जो नये नक्शे में प्रार्थी के खसरा नम्बर 13/0.91 के पश्चिम दिशा में सिवायचक जमीन में प्रदर्शित किये गये है उन्हे मुताबिक पुराना नक्शा व कब्जा मौका के आधार पर खसरा नम्बरान 860/3, 853/3, 854/3, 855/3 की बगल मे खाली जगह वतरफ पश्चिम दिशा प्रदर्शित किया जाकर नये नक्शे में संशोधित किया जाना उचित रहेगा।

अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण 2 लगायत 4 की आराजी खसरा नम्बर 864/5/0.81 तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 9 का खसरा नम्बर 863/5/0.81 बांके ग्राम नांगल में स्थित है जिनको नये नक्शे में प्रार्थी के नये खसरा नम्बर 13/0.91 के पश्चिम में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत प्रदर्शित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के रकबे के पश्चिम में सरकारी रकबा है प्रार्थीगण की उक्त आराजी पूर्व नक्शा में व मौके व कब्जे के अनुसार ही अप्रार्थीगण अपने-अपने रकबा पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के दोनो खसरा नम्बर 863/5, 864/5 नये नक्शे में खसरा नम्बर 854/3, 855/3, 860/3, 853/3 की बगल में व अलमीर प्लांट जिसका खसरा नम्बर 2 के वतरफ दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की आराजी प्रदर्शित की जानी चाहिये तथा प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 13/0.91 के पश्चिम दिशा में व नये नक्शे में सिवायचक भूमि है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 863/5/0.81, 864/5/0.81 जो नये नक्शे में प्रार्थी के खसरा नम्बर 13/0.91 के पश्चिम दिशा में सिवायचक भूमि में प्रदर्शित किये गये है उन्हे मुताबिक पुराना नक्शा व कब्जा मौका के आधार पर खसरा नम्बर 854/3, 855/3, 860/3, की बगल में खाली जगह में व अलमीर प्लॉट के खसरा नम्बर 2 के वतरफ दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की आराजी को प्रदर्शित किया जाकर नये नक्शे में हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने की आज्ञा पारित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण संख्या 5/1 लगायत 5/4 , 6 लगायत 9 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बरान 863/5/0.81; 864/5/0.81, हैक्टर बांके ग्राम नांगल तहसील पहाडी में स्थित है। जिसमें सैटलमैन्ट विभाग द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया है व मुताबिक मौके व कब्जानुसार सही तैयार किया है। जिसमें प्रार्थीगण के मकान बने हुये है व पेड पोधे बोर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

लगा हुआ है। गैतवाडियां बने हुये है और शेष आराजी में काश्तकारी का कार्य किया जा रहा है। रहमान द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है। जो काबिले खारिजी है। क्योंकि रहमान का हम प्रार्थीगण की आराजी से कोई लेना–देना नहीं हैं और ना ही कभी रहा है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। वकील फरीकेन ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब अप्रार्थीगण व तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी साविक खसरा नम्बर 5/0.91 हाल खसरा नम्बर 13/0.91 प्रार्थी के नाम एवं आराजी खसरा नम्बर साविक 2/16/0.81 हाल खसरा नम्बर 864/5/0.81 अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के नाम एवं साविक खसरा नम्बर 2/17/0.81 हाल खसरा नम्बर 863/5/0.81 अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 09 के नाम दर्ज है। प्रार्थी अपने साविक खसरा नम्बर 5/0.91 पर पुराने नक्शा व मौके तथा हाल नये नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त है जो कि सही है। प्रार्थी की आराजी के पश्चिम दिशा में सिवायचक खसरा नम्बर 6/11.47 स्थित है। परन्तु इस सिवायचक भूमि में बन्दोबस्त विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 के हाल खसरा संख्या 864/5/0.81 एवं 863/5/0.81 को प्रर्दशित कर दिया गया है। इस संबंध में हाल एवं साविक नक्शें का भी अवलोकन किया गया। साविक नक्शें में प्रार्थी की आराजी के पश्चिम दिशा में सिवायचक भूमि स्थित है। परन्तु हाल नक्शें में प्रार्थी की आराजी के पश्चिम दिशा में सिवायचक भूमि के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 के हाल खसरा संख्या 864/5/0.81 एवं 863/5/0.81 को प्रर्दशित कर दिया गया है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 ने भी अपने जबाब में पूर्ण सहमति दी है। तहसीलदार पहाड़ी ने भी अपने जबाब में अंकन किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के खसरा नम्बरान 863/5, 864/5 जो नये नक्शे में प्रार्थी के खसरा नम्बर 13/0.91 के पश्चिम दिशा में सिवायचक जमीन में प्रदर्शित किये गये है उन्हे मुताबिक पुराना नक्शा व कब्जा मौका के आधार पर खसरा नम्बरान 860/3, 853/3, 854/3, 855/3 की बगल मे खाली जगह वतरफ पश्चिम दिशा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्शित किया जाकर नये नक्शे में संशोधित किया जाना उचित होगा। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 09 के हाल खसरा संख्या 864 / 5 / 0.81 एवं 863 / 5 / 0.81 को साविक नक्शानुसार संशोधन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20 / 05 / 2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उप जिला कलेक्टर) उपखण्ड पहाड़ी

Scanned with OKEN Scanner